भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3690
21 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

सहयोग के लिए पृथक मंत्रालय

3690. श्री हिबी ईडन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के राज्यसूची की 32वीं प्रविष्टि के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी राज्यसूची का विषय है, और यदि हां, तो इसके लिए एक पृथक केंद्रीय मंत्रालय का निर्माण करने की जरूरत है;

(ख) क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक मंत्रालय की स्थापना निर्धारित करने की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा नहीं करने की तार्किकता क्या है;

(ग) क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना के लिए राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए तथा राज्यों में मंत्रालय के संस्थापनों को सूचित करने के लिए राज्यों के साथ कोई खुली चर्चा हुई है, क्योंकि यह एक राज्य का विषय है; और

(ङ) क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत मंत्रालय के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ उद्देश्यों को चिन्हित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री

(श्री अमित शाह)

(क) से (ङ): हमारे देश में एक सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल अत्यंत प्रासंगिक है। 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए, भारत सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार जैसा कि राजपत्र अधिसूचना दिनांक 06.07.2021 में अधिसूचित है, मंत्रालय को निम्नलिखित अधिदेश आवंटित है:

1. सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारिता गतिविधियों का समन्वय।
2. "सहकारिता से समृद्धि की ओर " परिकल्पना साकार करना।
3. देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाना।
4. देश के विकास के लिए अपने सदस्यों के बीच उत्तरदायित्व की भावना सहित, सहकारिता-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना।
5. सहकारी समितियों को अपनी क्षमता का उपयोग कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे का निर्माण।
6. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले।
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित, एक राज्य तक सीमित न रहने के उद्देश्य से, सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन।
9. सहकारिता विभागों और सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-सरकारी सदस्यों की शिक्षा सहित)

******